रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941
No. 2635] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2895(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 774 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 फरवरी 2018 , को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार में विचार किया गया था;

कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य झारखण्ड के कोडरमा जिले में अक्षांश 24º26' से 24º36' उत्तर और देशांतर 85º28' से 85º42' पूर्व के बीच स्थित है; यह अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अंतर्गत बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 148, तारीख 25 जनवरी, 1985 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसके आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 150.628 वर्ग किलोमीटर में है;

और, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 ने अभयारण्य को दो भागों में द्विभाजित किया है; यह छोटानागपुर पठार (एस डी) जैव-भौगोलिक क्षेत्र के दक्कन पठार प्रांत में स्थित है; इसमें चीतल, जंगली सूअर, रीछ, सियार, साही, लकड़बग्घा, खरगोश आदि का वास है; पलामू, चतरा और गिरिडीह के हाथी इस अभयारण्य के नाम से जाने जाते हैं; यहां महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां जिसमें सरपेंट ईगल, पैराडाईस फ्लाई कैचर, किंगफिशर, बी-इटर स्विफ्ट, बैबलर के विभिन्न प्रकार, ब्लैक ड्रोंगो, कठफोड़वा, लैपविंग, पीफाउल, तालाब बगुला, इगरेट, आदि अकसर दिखाई देते है। कभी कभी, मांसाहारी जैसे लोमड़ी और तेंदुआ भी दिखाई देते हैं।

जंगली हाथी इस संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर और आसपास घूमते है, और कभी कभी गिरिडीह, चतरा और पलामू में भी प्रवास करते हैं; कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य तिलैया, हरहद, चंदा, हुर्राही, पिपरादाह और पिपराकोन नदी प्रणालियों के जलभृतों में स्थित है; संरक्षित क्षेत्र के वन वर्षा को अवरोधित करके भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने में मदद करते हैं और वन मृदा कटाव को न्यूनतम करके नदियों और जलधाराओं में गादजमाव से उन्हे सुरक्षित रखते हैं;

और, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य में देश में अभ्रक का सबसे समृद्ध भंडार है। इस संरक्षित क्षेत्र में चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार, वनों के विविध प्रकारों- 5बी/ सी 1 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, 5बी/सी2 उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, 5/डी.एस. शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन और (5/ई2) बोसवेलिया वन की मौजूदगी है। कोडरमा अभयारण्य के वनों में स्तनधारियों की 14 प्रजातियां, पक्षियों की 35 से अधिक प्रजातियों और सरीसृपों की 9 प्रजातियों के लिए उत्कृष्ट पर्यावास हैं ;

और, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को ,जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं ,पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य के कोडरमा जिलें में कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों शून्य से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य (अन्तरराज्यीय सीमा के कारण) से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 133.247 वर्ग किलोमीटर है।

(2) कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा ब्यौरे और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II क** और **उपाबंध-II ख** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रुप में उपाबद्ध है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची सारणी **क** और सारणी **ख उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इसक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरुप भी तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचन में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचिलक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबांधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का विद्यमान और प्रस्तावित भू उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देने वाले मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी जिससे स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकी-जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) ऐसी अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग) क (में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना

अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुपालन के बिना जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में, इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों या उनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्ग निर्देश तैयार किए जाएगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक ,इनमें जो भी अधिक निकट हो ,किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि ,पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी

पर्यटन ,पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों) समय-समय पर यथा संशोधित (के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** ध्वनि प्रदूषण) विनियमन और नियंत्रण (नियम ,2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों ,इनमें जो भी अधिक कठोर हों ,के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों)ई एस एम(का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणियों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है। मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण) जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि(उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ,पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी ,2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर - प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो ,किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा) 1 (में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों ,यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
11.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों) अन्यथा उपबंधित के सिवाय (के अधीन अनुज्ञात होगा।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए सम्मिलित मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य;
(iv)	झारखण्ड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य ;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	संबंधित क्षेत्रीय प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(viii)	संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी-प्रभारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना की सारणी के पैरा 4 के स्तंभ (3) के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उप-आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहने हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रुप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/67/2015-ई एस जेड-आर ई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक ' जी '

उपाबंध-I

झारखण्ड राज्य में कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:- बिहार (बिहार का नवादा जिला) और झारखण्ड (झारखण्ड का कोडरमा जिला) के साथ अंतरराज्यीय सीमा ।

पूर्व:- जामतारा, धुबा, नलवा, गोलगो, रुपनडीह, मधुवन और डोमचांच का पूर्वी भाग, तेतरियाडीह और नेरपुर राजस्व ग्रामों का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग।

दक्षिण:- सलयडीह का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग, झरीटांड़ का दक्षिणी भाग और मलकोको का दक्षिण और दक्षिणी-पश्चिम भाग और इसके बाद कोडरमा-डोमचांच सड़क के साथ सीमा लोकाई ग्राम तक।

पश्चिम:- कोडरमा नगर पश्चिमी भाग में बरोहरिया के बाद, बेलाटांड़ का दक्षिणी भाग, हथवाधरन, मेघातरी, विशुनपुर, झरकी और पिछली राजस्व ग्रामों की पश्चिमी सीमा।

उपाबंध-**IIक**

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

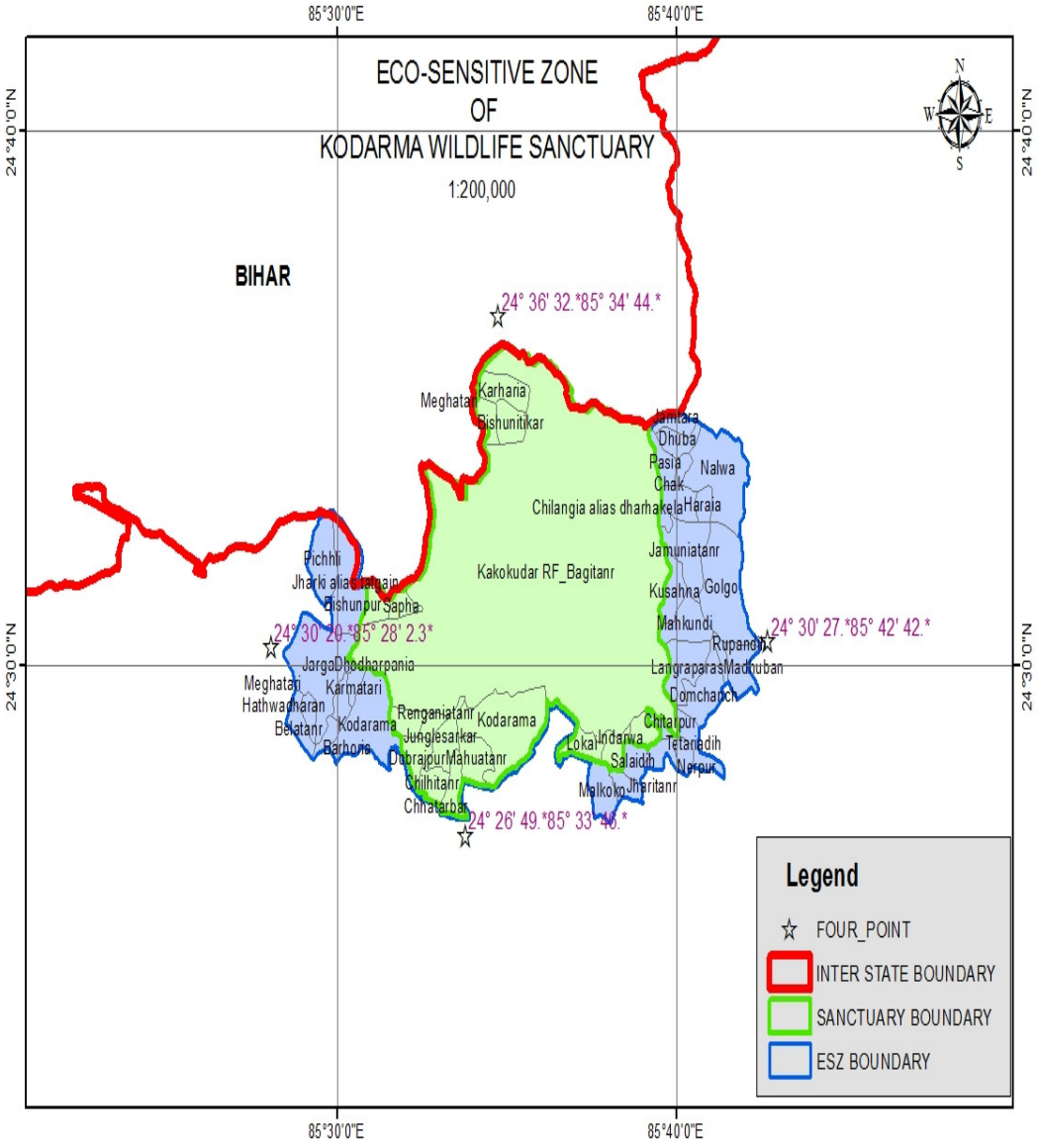

उपाबंध-**IIख**

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

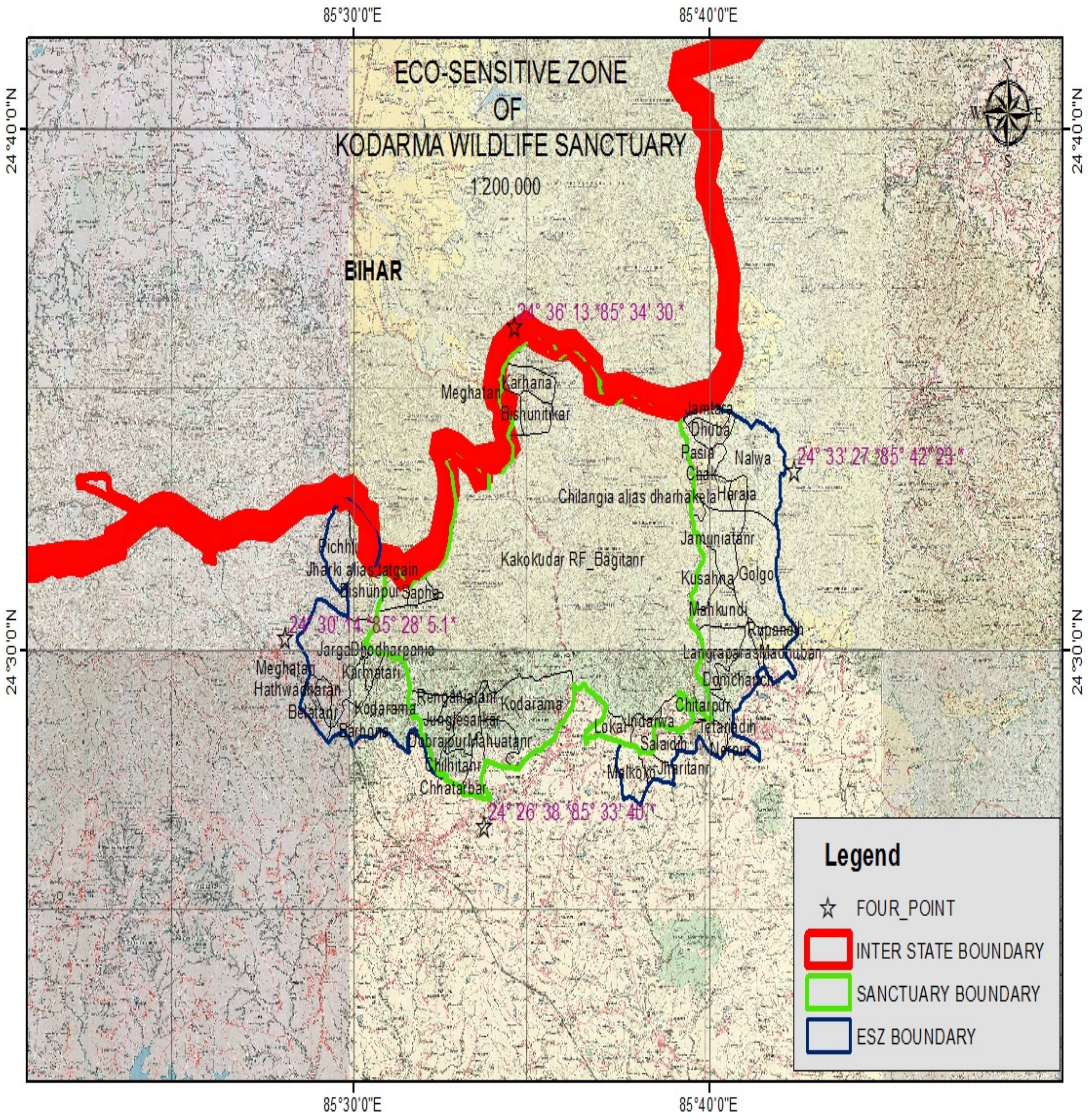

उपाबंध-III

सारणी क: कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
पी-1	24° 30' 7" उ	85° 30' 19" पू
पी-2	24° 31' 22 उ	85° 31' 47" पू
पी-3	24° 33' 34" उ	85° 33' 1" पू
पी-4	24° 34' 33" उ	85° 34' 15" पू
पी-5	24° 35' 42" उ	85° 36' 4" पू
पी-6	24° 34' 34" उ	85° 38' 57" पू
पी-7	24° 32' 13" उ	85° 39' 41" पू
पी-8	24° 30' 4" उ	85° 39' 49" पू
पी-9	24° 29' 2" उ	85° 39' 35" पू
पी-10	24° 28' 30" उ	85° 38' 59" पू
पी-11	24° 28' 12" उ	85° 37' 46" पू
पी-12	24° 28' 58" उ	85° 37' 4" पू
पी-13	24° 28' 41" उ	85° 35' 56" पू
पी-14	24° 27' 51" उ	85° 33' 54" पू
पी-15	24° 27' 38" उ	85° 32' 27" पू
पी-16	24° 29' 28" उ	85° 31' 32" पू
पी-17	24° 29' 40" उ	85° 31' 28" पू
पी-18	24° 29' 45" उ	85° 31' 26" पू
पी-19	24° 29' 49" उ	85° 31' 22" पू
पी-20	24° 29' 60" उ	85° 30' 40" पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पी-1	24° 35' 59" उ	85° 34' 57" पू
पी-2	24° 35' 16" उ	85° 36' 52" पू
पी-3	24° 34' 42" उ	85° 38' 18" पू
पी-4	24° 34' 27" उ	85° 40' 54" पू
पी-5	24° 33' 47" उ	85° 42' 7" पू
पी-6	24° 31' 44" उ	85° 41' 53" पू
पी-7	24° 29' 40" उ	85° 42' 22" पू
पी-8	24° 29' 29" उ	85° 41' 23" पू
पी-9	24° 28' 19" उ	85° 40' 58" पू
पी-10	24° 28' 7" उ	85° 40' 28" पू
पी-11	24° 28' 3" उ	85° 39' 17" पू
पी-12	24° 27' 11" उ	85° 38' 8" पू
पी-13	24° 27' 54" उ	85° 37' 23" पू
पी-14	24° 28' 31" उ	85° 36' 29" पू
पी-15	24° 28' 49" उ	85° 36' 10" पू
पी-16	24° 27' 41" उ	85° 34'20" पू
पी-17	24° 27' 6" उ	85° 33' 30" पू
पी-18	24° 27' 45" उ	85° 32' 10" पू
पी-19	24° 28' 9" उ	85° 31' 20" पू
पी-20	24° 28' 20" उ	85° 29' 50" पू
पी-21	24° 28' 54" उ	85° 28' 29" पू
पी-22	24° 30' 34" उ	85° 28' 43" पू
पी-23	24° 31' 14" उ	85° 29' 45" पू
पी-24	24° 32' 19" उ	85° 29' 12" पू
पी-25	24° 31' 43" उ	85° 30' 39" पू
पी-26	24° 32' 35" उ	85° 32' 41" पू
पी-27	24° 33' 31" उ	85° 33' 47" पू
पी-28	24° 35' 16" उ	85° 34' 1" पू

उपाबंध-IV

सारणी-क

कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम

क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासनिक खण्ड	जीपीएस भू-निर्देशांक	भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार शहर / ग्राम कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पसिया	डोमचांच	24.5636 उ, 85.6603 पू	349765
2	चाक	डोमचांच	24.5618 उ, 85.6696 पू	349766
3	जामतारा	डोमचांच	24.5752 उ, 85.6668 पू	349763
4	धुबा	डोमचांच	24.5702 उ, 85.6672 पू	349764
5	नलवा	डोमचांच	24.5592 उ, 85.6881 पू	349767
6	हरिया	डोमचांच	24.5504 उ, 85.6803 पू	349768
7	चिल्लांगी/धरहाकोला	डोमचांच	24.5509 उ, 85.6684 पू	349769
8	समसिहरैया	डोमचांच	24.5459 उ, 85.6611 पू	349770
9	जमुनियाटांड	डोमचांच	24.5359 उ, 85.6724 पू	349771
10	कुसहना	डोमचांच	24.5234 उ, 85.6650 पू	349772
11	गोलगो	डोमचांच	24.5245 उ, 85.6904 पू	349774
12	मधुवन	डोमचांच	24.4992 उ, 85.6983 पू	349784
13	रुपनडीह	डोमचांच	24.5030 उ, 85.6890 पू	349785
14	तेतरियाडीह	डोमचांच	24.4719 उ, 85.6705 पू	349787
15	नेरपुर	डोमचांच	24.4719 उ, 85.6705 पू	349788
16	डोमचांच	डोमचांच	24.4923 उ, 85.6807 पू	349865
17	लगंरापारस	डोमचांच	24.4996 उ, 85.6707 पू	349786
18	महकुन्दी	डोमचांच	24.5130 उ, 85.6719 पू	349773
19	पिच्चली	कोडरमा	24.5332 उ, 85.4930 पू	349640
20	बेलाटांड	कोडरमा	24.4804 उ, 85.4815 पू	349646
21	जरगा	कोडरमा	24.5002 उ, 85.4909 पू	349648
22	बरोहरिया	कोडरमा	24.4781 उ, 85.4953 पू	349649
23	झरीटांड	कोडरमा	24.4623 उ, 85.6419 पू	349704
24	सलयडीह	कोडरमा	24.4703 उ, 85.6461 पू	349705
25	गेदवाडीह/विशुनपुर	कोडरमा	24.4725 उ, 85.6596 पू	349729
26	झरकी/टटगेन	कोडरमा	24.5261 उ, 85.5047 पू	349639
27	ढोढरापानिया	कोडरमा	24.4886 उ, 85.5020 पू	349650
28	मेघातरी	कोडरमा	24.4898 उ, 85.4803 पू	349645

29	हथवाधरन	कोडरमा	24.4847 उ, 85.4863 पू	349647
30	करहरिया	कोडरमा	24.4813 उ, 85.6588 पू	349728
31	मलकोको	कोडरमा	24.4609 उ, 85.6301 पू	349703

सारणी – ख

भू-निर्देशांकों के साथ संलग्न ग्रामों की सूची

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पहचान करने के लिए **कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य** के संलग्न ग्रामों का विवरण				
क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासनिक खण्ड	जीपीएस भू-निर्देशांक	भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार शहर / ग्राम कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कोडरमा पूराना (फुलवरीया एवं डुमरीयाटाड़)	कोडरमा	24.4808 उ, 85.5827 पू	349695
2	चितरपुर	कोडरमा	24.4796 उ, 85.6505 पू	349706
3	महुआटांड	कोडरमा	24.4709 उ, 85.5676 पू	349714
4	लोकाई	कोडरमा	24.4749 उ, 85.6207 पू	349708
5	बहेरवाटांड	कोडरमा		349709
6	बागीटाड	कोडरमा	24.5290 उ, 85.5997 पू	349709
7	छतरबर	कोडरमा	24.4615 उ, 85.5573 पू	349716
8	चिल्लीटांड	कोडरमा	24.4631 उ, 85.5472 पू	349717
9	सिमरातरी	कोडरमा	24.4814 उ, 85.5461 पू	349719
10	दुबराजपुर	कोडरमा	24.4724 उ, 85.5387 पू	349720
11	रंगीनियांटांड	कोडरमा	24.4825 उ, 85.5338 पू	349721
12	जंगल सरकार	कोडरमा	24.4763 उ, 85.5530 पू	349718
13	करहरिया	कोडरमा	24.5860 उ, 85.5817 पू	349725
14	मेघातरी	कोडरमा	24.5768 उ, 85.5741 पू	349724
15	विशनुटिकर	कोडरमा	24.5757 उ, 85.5847 पू	349726
16	विशुनपुर	कोडरमा	24.5189 उ, 85.5187 पू	349722
17	सपहा	कोडरमा	24.5187 उ, 85.5316 पू	349723
18	इन्दरवा	कोडरमा	24.4738 उ, 85.6361 पू	349707

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2895(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 774 (E), dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd February, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Koderma Wildlife Sanctuary lies between latitudes $24^0$26' to $24^0$36' North and longitudes $85^0$28' to $85^0$42' East in Koderma District in the state of Jharkhand; the Sanctuary was notified under section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 by the Bihar Government *vide* its notification no. S.O. 148, dated 25th January, 1985 and the Sanctuary extends over an area of 150.628 square kilometers of reserve forests;

AND WHEREAS, National Highway - 31 bisects the aforesaid Sanctuary into two halves and it is located in the Deccan Plateau province of Chotanagpur Plateau (SD) bio-geographic zone; the habitat is shared by cheetals, wild boars, sloth bears, jackals, porcupines, hyaenas, hares, etc and the elephants of Palamu, Chatra and Giridih are known to move through this Sanctuary; the important bird species which can be frequently spotted are serpent eagle, paradise fly catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babbler, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc; sometimes, carnivores like wolves and leopards are also spotted; wild elephants move in and around this Protected Area and, sometimes, migrate up to Giridih, Chatra and Palamu; Koderma Wildlife Sanctuary lies in the catchments of Tilaiya, Harhad, Chanda, Hurrahi, Piparadah and Piparakon river systems; the forests of this protected area intercept rainfall and help recharge ground water aquifers and the forests also protect rivers and streams against silting by minimising soil erosion;

AND WHEREAS, the Koderma Wildlife Sanctuary has the richest deposits of mica in the country; the protected area is home to diverse types of forest, i.e. 5B/C1 - Northern Tropical Dry Peninsular Sal Forest, 5B/C2 Northern Tropical

Dry Mixed Deciduous Forest, 5/DS Dry Deciduous Scrub Forest and (5/E2) Boswellia Forest as per Champion and Seth's classification and the forests of Koderma Sanctuary are an excellent habitat for signification populations of 14 species of mammals, more than 35 species of birds and 9 species of reptiles;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 around the Koderma Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 5 kilometres around the boundary of Koderma Wildlife Sanctuary, in Koderma District in the State of Jharkhand as the Koderma Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero (due to Inter-State boundary) to 5 kilometres around the boundary of Koderma Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 133.247 square kilometres.

   (2) The boundary description of Koderma Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Koderma Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II A** and **Annexure-II B.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Koderma Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
   (i) Environment;
   (ii) Forest and Wildlife;
   (iii) Agriculture;
   (iv) Revenue;
   (v) Urban Development;
   (vi) Tourism;
   (vii) Rural Development;
   (viii) Irrigation and Flood Control;
   (ix) Municipal;
   (x) Panchayati Raj;
   (xi) Jharkhand State Pollution Control Board; and
   (xii) Public Works Department.

   (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

   (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water; otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh	Chairman, ex officio;
(ii)	Representative of the State Pollution Control Board	Member;
(iii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Jharkhand	Member;
(v)	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vii)	Concerned territorial Divisional Forest Officer	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer-In Charge of Protected Area	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the

Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/67/2015-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF JHARKHAND

North:- Inter-State border with Bihar (Nawada District of Bihar) and Jharkhand (Koderma District of Jharkhand)

East:- Eastern part of *Jamtara, Dhuba, Nalwa, Golgo, Rupandih, Madhuban* and *Domchanch*, South and Southern-East part *Tetariadih* and *Nerpur* Revenue Villages.

South:- South and Southern-East part of *Salaidih*, Southern part of *Jharitanr* and South and Southern-West part of *Malkoko* and thereafter the Border with Koderma-Domchanch road till *Lokai* Village.

West:- Koderma town is in western part followed by *Barhoria*, Southern part of *Belatanr*, Westren part of *Hathwadharan, Meghatari, Bishunpur, Jharki* and *Pichhli* Revenue Villages.

ANNEXURE- IIA

MAP OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

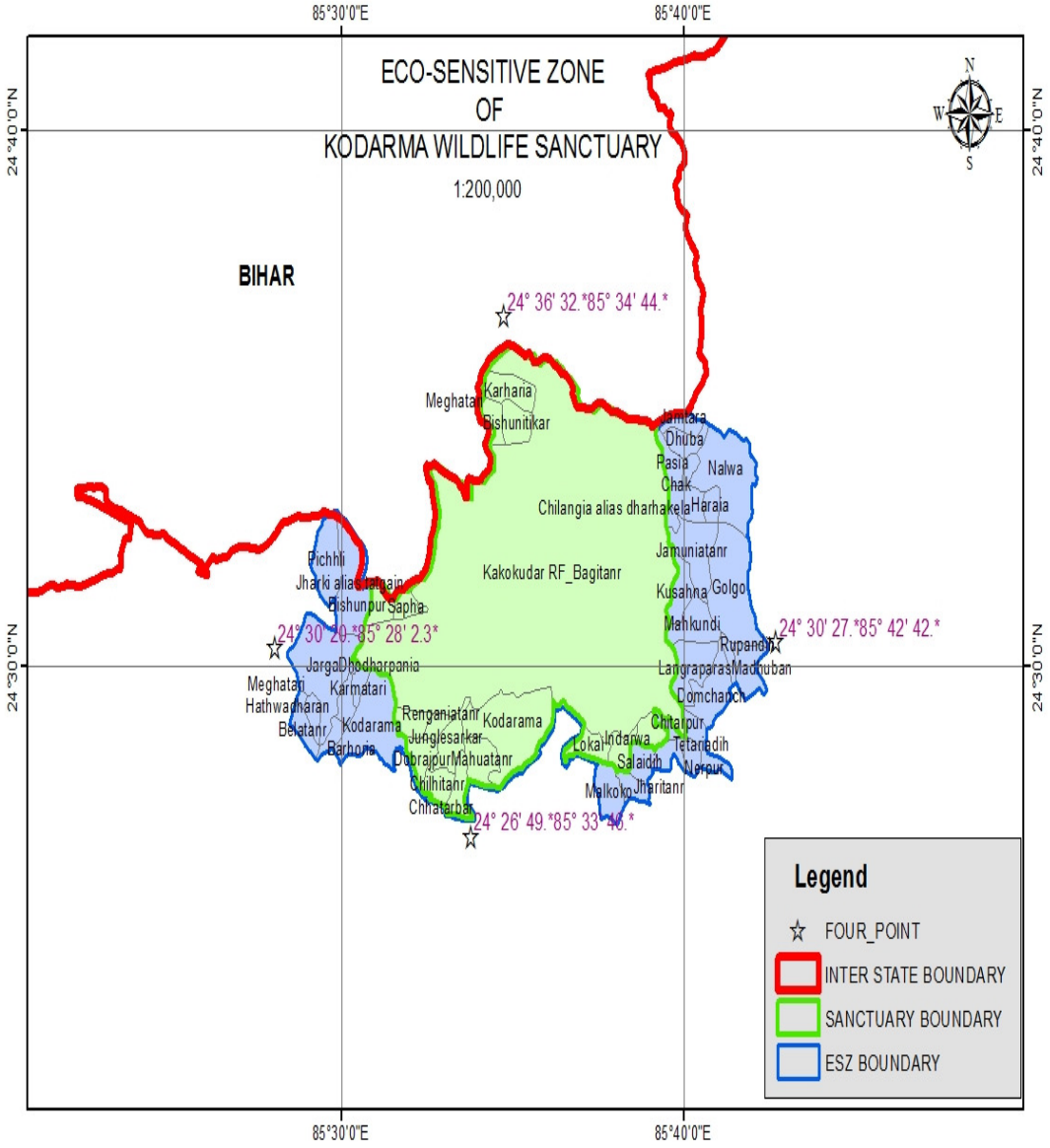

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

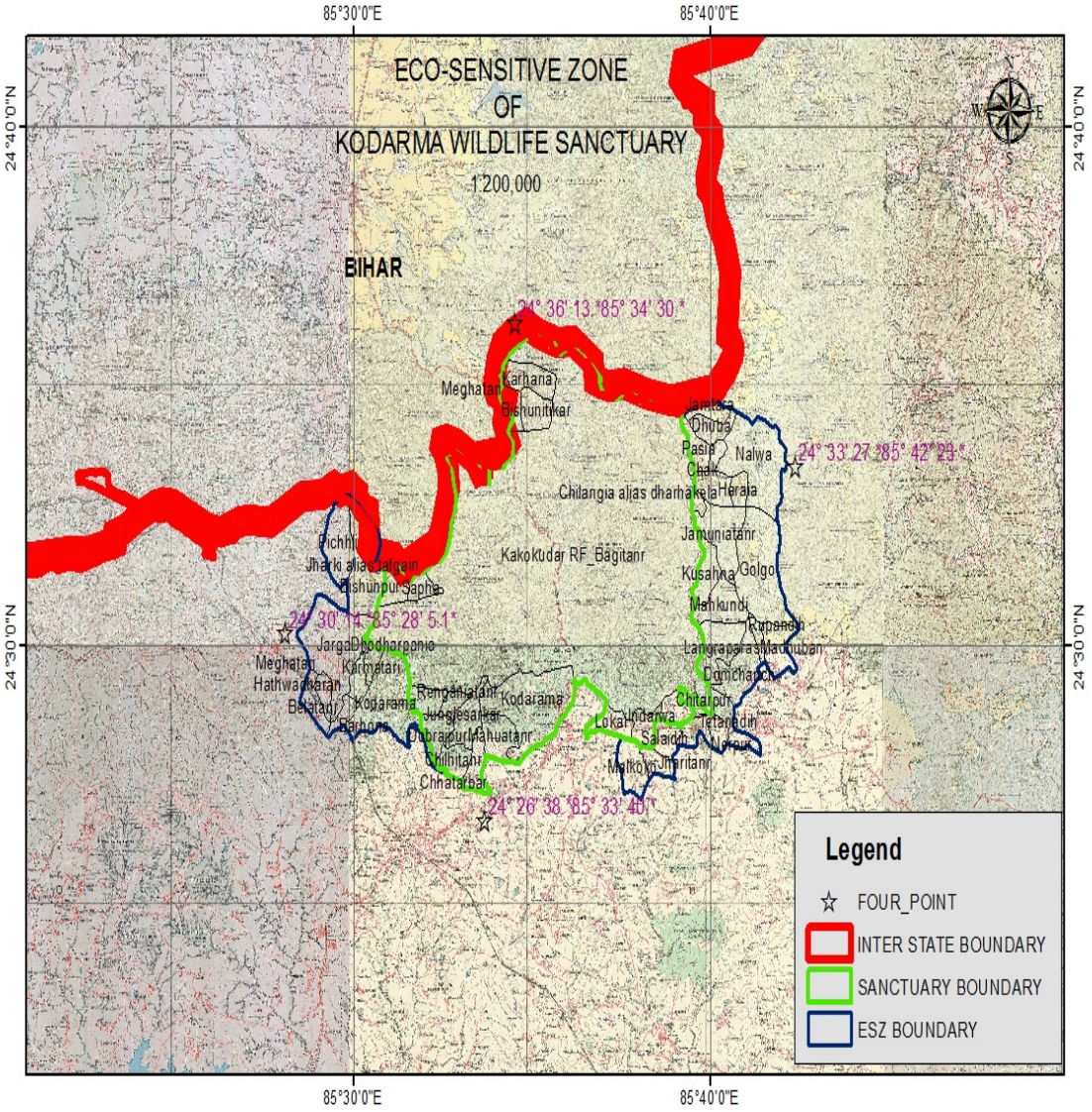

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KODERMA WILDLIFE SANCTUARY

Points	Latitude	Longitude
P-1	24° 30’ 7” N	85° 30’ 19” E
P-2	24° 31’ 22 N	85° 31’ 47” E
P-3	24° 33’ 34” N	85° 33’ 1” E
P-4	24° 34’ 33” N	85° 34’ 15” E

P-5	24° 35’ 42” N	85° 36’ 4” E
P-6	24° 34’ 34” N	85° 38’ 57” E
P-7	24° 32’ 13” N	85° 39’ 41” E
P-8	24° 30’ 4” N	85° 39’ 49” E
P-9	24° 29’ 2” N	85° 39’ 35” E
P-10	24° 28’ 30” N	85° 38’ 59” E
P-11	24° 28’ 12” N	85° 37’ 46” E
P-12	24° 28’ 58” N	85° 37’ 4” E
P-13	24° 28’ 41” N	85° 35’ 56” E
P-14	24° 27’ 51” N	85° 33’ 54” E
P-15	24° 27’ 38” N	85° 32’ 27” E
P-16	24° 29’ 28” N	85° 31’ 32” E
P-17	24° 29’ 40” N	85° 31’ 28” E
P-18	24° 29’ 45” N	85° 31’ 26” E
P-19	24° 29’ 49” N	85° 31’ 22” E
P-20	24° 29’ 60” N	85° 30’ 40” E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Points	**Latitude(N)**	**Longitude (E)**
P-1	24° 35’ 59” N	85° 34’ 57” E
P-2	24° 35’ 16” N	85° 36’ 52” E
P-3	24° 34’ 42” N	85° 38’ 18” E
P-4	24° 34’ 27” N	85° 40’ 54” E
P-5	24° 33’ 47” N	85° 42’ 7” E
P-6	24° 31’ 44” N	85° 41’ 53” E
P-7	24° 29’ 40” N	85° 42’ 22” E
P-8	24° 29’ 29” N	85° 41’ 23” E
P-9	24° 28’ 19” N	85° 40’ 58” E
P-10	24° 28’ 7” N	85° 40’ 28” E
P-11	24° 28’ 3” N	85° 39’ 17” E
P-12	24° 27’ 11” N	85° 38’ 8” E
P-13	24° 27’ 54” N	85° 37’ 23” E
P-14	24° 28’ 31” N	85° 36’ 29” E
P-15	24° 28’ 49” N	85° 36’ 10” E
P-16	24° 27’ 41” N	85° 34’20” E
P-17	24° 27’ 6” N	85° 33’ 30” E
P-18	24° 27’ 45” N	85° 32’ 10” E
P-19	24° 28’ 9” N	85° 31’ 20” E
P-20	24° 28’ 20” N	85° 29’ 50” E
P-21	24° 28’ 54” N	85° 28’ 29” E

P-22	24° 30’ 34” N	85° 28’ 43” E
P-23	24° 31’ 14” N	85° 29’ 45” E
P-24	24° 32’ 19” N	85° 29’ 12” E
P-25	24° 31’ 43” N	85° 30’ 39” E
P-26	24° 32’ 35” N	85° 32’ 41” E
P-27	24° 33’ 31” N	85° 33’ 47” E
P-28	24° 35’ 16” N	85° 34’ 1” E

Annexure-IV

Table-A

VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF KODERMA WILD LIFE SANCTUARY

Sl. No.	Name of Village	Admm Block	GPS -Co-ordinets	Town/ Village code as per Census of India , 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasia	Domchanch	24.5636 N, 85.6603 E	349765
2	Chak	Domchanch	24.5618 N, 85.6696 E	349766
3	Jamtara	Domchanch	24.5752 N, 85.6668 E	349763
4	Dhuba	Domchanch	24.5702 N, 85.6672 E	349764
5	Nalwa	Domchanch	24.5592 N, 85.6881 E	349767
6	Haraia	Domchanch	24.5504 N, 85.6803 E	349768
7	Chilangia / Dharhakola	Domchanch	24.5509 N, 85.6684 E	349769
8	Samasiharia	Domchanch	24.5459 N, 85.6611 E	349770
9	Jamuniatanr	Domchanch	24.5359 N, 85.6724 E	349771
10	Kusahna	Domchanch	24.5234 N, 85.6650 E	349772
11	Golgo	Domchanch	24.5245 N, 85.6904 E	349774
12	Madhuban	Domchanch	24.4992 N, 85.6983 E	349784
13	Rupandih	Domchanch	24.5030 N, 85.6890 E	349785
14	Tetariadih	Domchanch	24.4719 N, 85.6705 E	349787
15	Nerpur	Domchanch	24.4719 N, 85.6705 E	349788
16	Domchanch	Domchanch	24.4923 N, 85.6807 E	349865
17	Langraparas	Domchanch	24.4996 N, 85.6707 E	349786
18	Mahkundi	Domchanch	24.5130 N, 85.6719 E	349773
19	Pichhli	Koderma	24.5332 N, 85.4930 E	349640
20	Belatanr	Koderma	24.4804 N, 85.4815 E	349646
21	Jarga	Koderma	24.5002 N, 85.4909 E	349648
22	Barhoria	Koderma	24.4781 N, 85.4953 E	349649
23	Jharitanr	Koderma	24.4623 N, 85.6419 E	349704
24	Salaidih	Koderma	24.4703 N, 85.6461 E	349705
25	Gendwadih / Bisunpur	Koderma	24.4725 N, 85.6596 E	349729

26	Jharki/Tatgain	Koderma	24.5261 N, 85.5047 E	349639
27	Dhodharpania	Koderma	24.4886 N, 85.5020 E	349650
28	Meghatari	Koderma	24.4898 N, 85.4803 E	349645
29	Hathwadharan	Koderma	24.4847 N, 85.4863 E	349647
30	Karharia	Koderma	24.4813 N, 85.6588 E	349728
31	Malkoko	Koderma	24.4609 N, 85.6301 E	349703

Table-B

LIST OF ENCLAVE VILLAGES ALONG WITH GEO-COORDINATES

DETAILS OF ENCLAVED VILLAGES OF **KODERMA WILD LIFE SANCTUARY** FOR IDENTIFICATION OF ECO-SENSITIVE ZONE				
Sl. No.	Name of Village	Admm Block	GPS -Co-ordinets	Town/ Village code as per Census of India , 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Koderma Old R.F. (Phulwaria & Dumariatand)	Koderma	24.4808 N, 85.5827 E	349695
2	Chitarpur	Koderma	24.4796 N, 85.6505 E	349706
3	Mahuatanr	Koderma	24.4709 N, 85.5676 E	349714
4	Lokai	Koderma	24.4749 N, 85.6207 E	349708
5	Beherwatanr	Koderma		349709
6	Baghitanr	Koderma	24.5290 N, 85.5997 E	349709
7	Chhatarbar	Koderma	24.4615 N, 85.5573 E	349716
8	Chillitanr	Koderma	24.4631 N, 85.5472 E	349717
9	Semratari	Koderma	24.4814 N, 85.5461 E	349719
10	Dubrajpur	Koderma	24.4724 N, 85.5387 E	349720
11	Ranghintanr	Koderma	24.4825 N, 85.5338 E	349721
12	Jungal Sarkar	Koderma	24.4763 N, 85.5530 E	349718
13	Karharia	Koderma	24.5860 N, 85.5817 E	349725
14	Meghatari	Koderma	24.5768 N, 85.5741 E	349724
15	Bisnutikar	Koderma	24.5757 N, 85.5847 E	349726
16	Bisnupur	Koderma	24.5189 N, 85.5187 E	349722
17	Sapha	Koderma	24.5187 N, 85.5316 E	349723
18	Indarwa	Koderma	24.4738 N, 85.6361 E	349707

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.14 16:16:31 +05'30'